नं. जेड-14014/2/2023-जीसी एण्ड पार्लि. (ई-3012849)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011,
दिनांक:12.05.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अप्रैल, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को अप्रैल, 2023 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

अर्जुन राणा

(अर्जुन राणा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,
मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।

9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथाउपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

अप्रैल, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में

राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस-ई-रजिस्ट्रीकरण) को अभी तक 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, गोवा, झारखंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, लद्दाख, बिहार, असम, मेघालय और उत्तराखंड में अपनाया गया है। ग्यारह (11) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, ओडिशा और सिक्किम ने पहले ही यूजर इंटरफेस/एपीआई के माध्यम से एनजीडीआरएस के राष्ट्रीय पोर्टल के साथ डाटा साझा करना आरंभ कर दिया है। अप्रैल, 2023 माह में, पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने एनजीडीआरएस पोर्टल के साथ विलेखों और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित डाटा को साझा करना शुरू किया है, इस प्रकार इसमें शामिल राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या 29 हो गई है।

2. पूरी हो चुकी डब्ल्यूडीसी- पीएमकेएसवाई 1.0 के परियोजना क्षेत्रों में चल रही मनरेगा योजना की निधियों के समामेलन से उपयुक्त बागवानी/कृषि-वानिकी किस्मों के वृक्षारोपण कार्यकलापों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सचिव (भूमि संसाधन) और सचिव (ग्रामीण विकास) द्वारा दिनांक 10.04.2023 को संयुक्त परामर्शी जारी की गई थी।

3. माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के निदेशों के अनुसार, वाटरशेड परियोजना क्षेत्रों में "कैक्टस की खेती और उसके आर्थिक उपयोग" पर इस विभाग द्वारा एक विस्तृत नोट तैयार किया गया था और इसे प्रधान मंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय को अग्रेषित किया गया।

4. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) योजना के तहत प्रस्तावित *भूमि सम्मान* समारोह के लिए डाटा सत्यापन के संबंध में विभिन्न राज्यों के जिलों के चयन हेतु इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरे किए गए।

5. उप महानिदेशक (पीएमई प्रभाग) ने परियोजनाओं के समवर्ती मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, दिनांक 26-28 अप्रैल, 2023 के दौरान पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड का दौरा किया। उन्होंने राज्य

सरकार के अधिकारियों के साथ विभाग की चल रही विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की।

6. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत कुल 6382 {8214 (स्वीकृत) - 1832 (राज्यों को अंतरित)} परियोजनाओं में से अब तक 6376 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी तक 5672 परियोजनाओं की एंड लाइन मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

7. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम)डीआईएलआरएमपी (के विभिन्न घटकों की प्रगति) संचयी (की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः-

i. 6,22,430 गांवों के भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।

ii. 4,923 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।

iii. 1,28,81,329 भूकर मानचित्रों/एफएमबी/टिप्पनों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया।

iv. 4,081 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में भूमि अभिलेखों के साथ राजस्व और रजिस्ट्रीकरण के एकीकरण का कार्य पूरा किया गया।

v. 3,306 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना पूरी की गई।

*****